राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–786/2025

लक्ष्मण वाल्मीकि

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, कोशल, नियोजन एवं उद्यमिता विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 26.01.2025
आदेश की दिनांक : 10.02.2025
उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री आर.के. गौतम, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री महिपाल खर्रा, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में समूह अनुदेशक के पद पर राजकीय आईटीआई, अजमेर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण किशनगढ में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण निजी प्रत्यर्थी संख्या–5 को अपीलार्थी के स्थान पर समंजित करने की दृष्टि से किया गया है। अपीलार्थी के स्थानांतरण में कोई प्रशासनिक आवश्यकता नहीं थी। अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश में यह अंकित है कि अपीलार्थी का स्थानांतरण अपीलार्थी की स्वयं की प्रार्थना पर किया जा रहा है, परंतु अपीलार्थी ने अपने स्थानांतरण के लिए कोई प्रार्थना नहीं की। ऐसे में गलत आधारों पर अपीलार्थी का स्थानांतरण किया गया है, जो उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. हम पाते हैं कि केवल इस आधार पर स्थानांतरण आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता है कि स्थानांतरण आदेश में उसकी स्वयं की इच्छा से

स्थानांतरण किया जाना अंकित है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक आवश्यकता में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेना उचित समझता है। ऐसे प्रशासनिक आदेश में इस अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। केवल इस आधार पर भी अपीलार्थी के स्थानांतरण आदेश को गलत होना नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को स्थानांतरित किया गया है। हम पाते हैं कि अपीलार्थी अजमेर जिले में वर्ष 2013 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानान्तरण अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर समुचित समय तक पदस्थापित रखने के पश्चात किया गया है।

5. उपरोक्त विवेचना के आधार पर हम अपीलार्थी के स्थानान्तरण आदेश में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते हैं। अतः अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। प्रत्यर्थी विभाग को यह भी निर्देश दिये जाते है कि यदि अपीलार्थी की स्वयं की प्रार्थना पर उसका स्थानान्तरण नहीं किया गया है तो उसे नियमानुसार टी.ए./डी.ए. का भुगतान किया जाए।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)